R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

298
मई
2004

नीति

लाभांश की घोषणा

रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा देश लाभांशों पर अपने दिशानिर्देश संशोधित किये हैं। ये निम्नानुसार हैं :

पात्रता मानदंड

- केवल ऐसे बैंक जो निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करते हैं, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना लाभांश घोषित करने के पात्र होंगे:

  बैंक को चाहिए कि -

  (क) उसका जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) पिछले दो पूर्ण वर्षों के दौरान तथा लाभांश की घोषणा के लिए प्रस्तावित लेखा वर्ष में न्यूनतम 11 प्रतिशत हो।

  (ख) उसकी निवल अनर्जक आस्ति 3 प्रतिशत से कम होनी चाहिए ।

  (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 तथा 17 के उपबंधों का अनुपालन किया जाये।

  (घ) अनर्जक आस्तियों तथा स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान रखने, लाभ को सांविधिक आरक्षित निधि तथा निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि आदि में अंतरित करने सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विनियमों/दिशा-निर्देशों का पालन हो।

- लाभांश की घोषणा करने के संबंध में बैंक पर रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट रोक न लगायी हुई हो।

देय लाभांश की मात्रा

जो बैंक लाभांश की घोषणा करने के लिए पात्र हैं, वे रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लिये बिना लाभांश का भुगतान कर सकते हैं बशर्ते -

(i) लाभांश भुगतान अनुपात 33.33 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) अदा किया जाने वाला प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से आये।

(iii) लाभांश भुगतान अनुपात का परिकलन *वर्ष के दौरान का देय लाभांश (लाभांश कर छोड़ कर) तथा वर्ष के दौरान निवल लाभ* के प्रतिशत के आधार पर किया जाये।

(iv) यदि संबंधित वर्ष के लाभ में कोई असामान्य लाभ/आय शामिल हो तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात की 33.33 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अनुपालन हेतु भुगतान अनुपात का निर्धारण ऐसी असामान्य मदों को घटाकर किया जाना चाहिए।

(v) जिस वर्ष के लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा हो उस वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणियों में सांविधिक लेखा-परीक्षकों की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे उसका अर्थ सीमित हो जाता हो और जिसके कारण उस वर्ष के लाभ पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस तरह की सीमित करने वाली टिप्पणी होने की स्थिति मे लाभांश भुगतान के अनुपात का परिकलन करते समय लाभ को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

ऐसे बैंक जो निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक का लाभांश घोषित करना चाहते हो उन्हें रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। बैंकों से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर रिज़र्व बैंक मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेगा।

अंतरिम लाभांश

जो बैंक लाभांश की घोषणा करने के लिए पात्र हैं और ऊपर उल्लिखित अन्य अपेक्षाएं पूरी करते हैं, वे रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित लेखा अवधि के लाभ से अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं बशर्ते संचयी अंतरिम लाभांश की राशि संबंधित लेखा अवधि के लिए लाभांश भुगतान अनुपात (33.33 प्रतिशत) की उच्चतम विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होनी चाहिए। परंतु इस सीमा से अधिक लाभांश की घोषणा तथा भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

पात्रता मानदंड पूरा न करने वाले बैंक

जो बैंक उपर्युक्त निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते, उन्हें लाभांश की घोषणा करने से पहले रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमेदन लेना होगा। इन बैंकों से प्राप्त अनुरोधों पर रिज़र्व बैंक मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेगा।

पृष्ठ 3 पर जारी

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
लाभांश की घोषणा	1
वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मुख्य-मुख्य बातें	2
सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा	3
शेयरों पर बैंक वित्तपोषण के लिए मार्जिन घटाया गया	3
ग्राहक सेवा	
चालू खाते खोलना	4
ग्राहक के संबंध में जानकारी	4
न्यूनतम शेष राशि	4
संयुक्त खाते	4
इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण/इलेक्टानिक समाशोधन सेवा के लिए प्रोसेसिंग प्रभार	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निवेश का मूल्यांकन	4

वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मुख्य-मुख

घरेलू गतिविधियां

- वर्ष 2004-05 के लिए सकल देशी उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5-7.0 प्रतिशत पर लगाया गया है।
- यह कल्पना करते हुए कि चलनिधि की पर्याप्त आपूर्ति में कोई झटके नहीं आयेंगे और यथोचित चलनिधि प्रबंधन होता रहेगा, नीति में मुद्रास्फीति दर वर्ष 2004-05 के दौरान 5.0 प्रतिशत के आस-पास रहने का अनुमान लगाया गया है।
- वर्ष 2003-04 के दौरान मुद्रा भंडारों और मुद्रा आपूर्ति (एम3) में वृद्धि ऊंची रही थी जो पूंजीगत प्रवाहों का द्योतक थी; अलबत्ता, विदेशी मुद्रा आस्तियों का विस्तारकारी प्रभाव बहुत हद तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत सतत रेपो परिचालनों सहित काफी हद तक खुला बाज़ार परिचालनों के द्वारा निष्क्रिय हो गया था।
- सितंबर से गैर खाद्यान्न ऋण में लगातार बढ़ोतरी; वाणिज्यिक क्षेत्र को स्रोतों की कुल उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही।
- वर्ष 2003-04 के लिए सरकारी बाज़ार उधार कार्यक्रम काफी कम लागत पर पूरा किया गया; हालांकि राजकोषीय घाटे में गिरावट दर्ज की गयी, पूंजी व्यय बढ़ाने की ज़रूरत पर बल।
- वर्ष 2003-04 के दौरान मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में ब्याज दरों में और गिरावट।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने बीपीएलआर को 25-100 आधार बिन्दुओं की श्रृंखला में घटाया है।
- रिज़र्व बैंक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखेगा; बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) एक अतिरिक्त उपाय रहेगा।

बाह्य गतिविधियां

- वर्ष 2003-04 में डॉलर की तुलना में रुपये की विनिमय दर में सुधार हुआ लेकिन यह यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन की तुलना में मंदा रहा।
- राजकोषीय वर्ष 2003-04 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में 37.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और ये 7 मई 2004 को 118.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थे।
- अमेरिकी डॉलर के रूप में भारत के निर्यात 17.1 प्रतिशत बढ़े जबकि आयातों में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई; वर्ष 2003-04 के दौरान लगातार तीसरे वर्ष चालू खाते में अधिशेष दर्ज होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2003-04 के दौरान बाह्य क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता व्यापक पूंजी प्रवाहों से संबंधित रही और घरेलू मौद्रिक नीति तथा विनिमय दर प्रबंधन के संचालन के लिए इसकी अनिवार्य भागीदारी बनी रही।

समग्र आकलन

- अनिश्चितताओं के बावजूद, वर्ष 2004-05 के दौरान सकल देशी उत्पाद वृद्धि के क्षेत्र में भारत की स्थिति विश्व के सबसे अच्छे निष्पादन वाले देशों में बने रहने की उम्मीद है।
- जहां तक मूल्यों का संबंध है, तेल मूल्यों और बड़े पैमाने पर देशी चलनिधि के कारण चली आयी समस्याओं के बावजूद, वर्ष 2004-05 के दौरान इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मूल्य स्थिति मैक्रो स्थिरता के लिए चिंता का कारण बनेगी।
- कृषि तथा छोटे और मझौले उद्यमियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में आनेवाली अड़चनों से पार पाने की ज़रूरतों पर बल।
- भारत में बैंकिंग की गुणवत्ता, प्रयोजनशीलता तथा पहुंच को बढ़ाने के लिए ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र का ढांचा बदलने की ज़रूरत पर बल।

मौद्रिक नीति की अवस्थिति

- वर्ष 2004-05 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम3) में विस्तार की परिकल्पना 14.0 प्रतिशत पर जिसमें ऋण वृद्धि 16.0 - 16.5 प्रतिशत पर आंकी गयी है।
- वर्ष 2004-05 के लिए मौद्रिक नीति की समग्र अवस्थिति इस प्रकार रहेगी: (i) ऋण वृद्धि तथा समर्थन निवेश तथा निर्यात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान और उसके लिए मूल्य स्तर के उतार-चढ़ाव पर पैनी निगाह रखने की ज़रूरत होगी, (ii) उपर्युक्त के अनुरूप, यथास्थिति बनाये रखते हुए रिज़र्व बैंक एक ऐसा ब्याज दर परिवेश अपनायेगा जो वृद्धि की गति को बनाये रखने तथा मैक्रो इकॉनॉमिक तथा मूल्यस्थिरता के लिए अनुकूल हो।

उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत पर स्थिर रखी गयी।
- रेपो दर 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गयी।
- संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा शुरू की गयी।
- समग्र निर्यात ऋण प्रत्यावर्तनीय रेपो दर पर उपलब्ध कराया गया।
- लगभग सभी बैंकों ने बीपीएलआर की नयी प्रणाली अपना ली है और दरें उनके पूर्व के प्राइम उधार दरों से कम हैं।
- ऋण उपलब्ध कराने तथा ऋण संस्कृति में सुधार लाने के लिए ऋण जोखिमों के आकलन के लिए बैंकों को ऋणों के मूल्यों को एक सीध में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- रिज़र्व बैंक ने व्यास समिति की आंतरिक रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। ये इस प्रकार हैं - प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भंडारण सुविधाओं के लिए ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के रूप में जमानत कृषि ऋण, कुछेक कृषि ऋणों के लिए एक सीमा तक मार्जिन/जमानत अपेक्षाओं को माफ करना, फसल ऋणों के लिए अनुत्पादक आस्ति मानदंडों को फसल मौसमों की सीध में लाना।
- निगम ऋण का ढांचा बदलने की ही तरह मझौले उद्यमों के लिए ऋण का ढांचा बदलने वाला तंत्र विकसित करना।
- आधारभूत ऋण की परिभाषा को विस्तार दिया गया।
- आधारभूत वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऋण विस्तार पर कार्यदल गठित किया गया।
- विश्वसनीय निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना तैयार की गयी।
- सरकार तथा अन्य स्टेक धारकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए विभिन्न पुनर्गठन विकल्पों पर विचार - व्यास समिति भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे को बदलने पर विचार कर रही है।
- 26 जून 2004 से काल/नोटिस मुद्रा बाज़ार में गैर-बैंक सहभागियों के लिए ऋण पर सीमा घटा कर 45.0 प्रतिशत कर दी गयी।
- सीबीएलओ के अंतर्गत बाज़ार सहभागियों तथा सीसीआइएल के बीच प्रतिभूतियों के स्वचालित मूल्यहीन अंतरण का प्रस्ताव।
- रिज़र्व बैंक ने निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम की निष्पादकता की समीक्षा के लिए कार्यदल गठित किया।
- सीसीआइएल के ज़रिए ओटीसी डेरिवेटिव्ज के लिए समाशोधन पर विचार किया जा रहा है।

ख्य बातें

- सीसीआइएल एनडीएस सदस्यों के लिए गैर-एसएलआर ऋण विलेखों में कारोबारों के निपटान के लिए व्यवस्थाएं तैयार करेगा।
- पूंजी इंडेक्स बांडों पर चर्चा पत्र पब्लिक डोमेन पर रखा जा रहा है।
- भवन निर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए स्वचालित रूट के अंतर्गत ईसीबी सीमा पहले ही बढ़ा कर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गयी है।
- निवासी व्यक्तियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25,000 अमेरिकी डॉलर आसानी से प्रेषित करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
- भारतीय निगमों तथा भागीदारी फर्मों को अपनी शुद्ध हैसियत के 100.0 प्रतिशत तक विदेशों में निवेश करने की अनुमति।
- आधारभूत वित्तपोषण के लिए दीर्घकालीन बांड जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति।
- बैंकों के लिए अरक्षित एक्सपोज़र की मौजूदा सीमा हटायी गयी।
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं पर एक्सपोज़र पर 100.0 प्रतिशत की दर पर जोखिम भार लगेगा।
- बैंकों को बाज़ार जोखिम के लिए चरणबद्ध रूप में पूंजी प्रभार बनाये रखने की ज़रूरत।
- बैंक बासले II अपनाने के लिए योजना तैयार करेंगे।
- बैंक अनुत्पादक आस्तियों की आयु के अनुसार उच्चतर प्रावधान करेंगे।
- बैंक वित्तीय संस्थाएं सीआइबीआइएल को ऋण सूचनाएं उपलब्ध करायेंगे।
- बैंक नये खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए नीति का पूरी तरह से पालन करेंगे।
- वित्तीय समूह संस्थाओं पर कार्यदल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखी जा रही है।
- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और बैंकों के लिए भी शुरू किया जायेगा।
- शहरी सहकारी बैंकों को नये लाइसेंस व्यापक नीति के बाद ही।
- विकास वित्त संस्थाओं पर कार्यदल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखी जा रही है।
- तकनीकी समूह पुनर्वित्त संस्थाओं द्वारा शुरू की गयी विनियामक तथा पर्यवेक्षी प्रणालियों का मूल्यांकन करेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तथा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं के लिए बैंकों पर सेवा प्रभारों से छूट।
- रिज़र्व बैंक ने भुगतान तथा समाशोधन प्रणाली के लिए बोर्ड गठित किया।
- रिज़र्व बैंक को जून 2004 तक आरटीजीएस प्रणाली में अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों के शामिल हो जाने की उम्मीद।
- पूंजी बाज़ार के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण पर कार्यदल गठित।
- रिज़र्व बैंक नकदी विभाग ने सभी लेनदेनों के लिए एकल विंडो सेवाएं।
- जून 2004 तक ऑन-लाइन टैक्स एकाउंटिंग प्रणाली शुरू हो जायेगी।
- लोक सेवाओं पर क्रियाविधि तथा निष्पादकता लेखा-परीक्षा पर स्थायी समिति ने चार रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इन्हें पब्लिक डोमेन पर रखा जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा संहिताओं पर परामर्शदात्री तकनीकी समूह की सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

लाभांश की घोषणा

पृष्ठ 1 से जारी

रिपोर्टिंग प्रणाली

बैंकों को लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का ब्यौरा लाभांश/लाभांशों के भुगतान के बाद एक पखवाड़े के अंदर प्रस्तुत कर देना चाहिए।

ये संशोधित दिशा-निर्देश 31 मार्च 2004 को समाप्त लेखा वर्ष में तथा उसके बाद घोषित लाभांशों के लिये लागू होंगे। बैंकों को चाहिये कि वे बोर्ड की अगली बैठक में दिशा-निर्देशों की एक प्रति रखें।

बैंकों को आगे सूचित किया जाता है कि दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा तथा इनके संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1948 की धारा 46 के अधीन दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय विनियमन पर स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति के परामर्श से बैंकों द्वारा लाभांश का भुगतान करने संबंधी नीतिगत पहल की समीक्षा की। यह निर्णय लिया गया कि बैंकों द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में विनियामक फोकस *लाभांश की मात्रा* से हटकर *लाभांश पेआउट अनुपात* की तरफ बढ़ना चाहिए।

सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा

बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में एकसमानता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि -

(i) बैंक कंप्यूटरीकरण के अपने स्तर के लिए उपयुक्त आइएस ऑडिट नीति अपनायें (यदि अभी तक ऐसा नहीं किया है तो) और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं तथा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमित अंतरालों पर उसकी समीक्षा करें।

(ii) बैंक (कारोबार के स्वरूप और मात्रा की दृष्टि से) सभी महत्त्वपूर्ण शाखाओं को शामिल करते हुए वार्षिक आधार पर आइएस ऑडिट करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रथाएं अपनाएं।

(iii) अच्छा यह होगा कि इस प्रकार की लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षा के पहले की जाएं ताकि सांविधिक लेखा-परीक्षकों को पर्याप्त समय पहले आइएस ऑडिट रिपोर्टें जांच और लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में अभिमत, यदि कोई हों तो, शामिल करने के लिए उपलब्ध हों।

(iv) आइएस ऑडिट रिपोर्टें सर्वोच्च प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत की जानी चाहिए और लेखा परीक्षा नीति में बतायी गयी समय-सीमा के भीतर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बोर्ड की अगली बैठक में ये अनुदेश प्रस्तुत करें और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें लागू करें।

रिज़र्व बैंक ने पहले सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से उभरने वाले जोखिमों और चिन्ताओं के प्रति बैंकों को सुग्राही बनाने के लिए कई तरह की पहल की है। सुदृढ आइएस लेखा परीक्षा नीतिगत ढांचे और प्रथाओं को अपनाने में बैंकों को सहायता करने के लिए समय समय पर विभिन्न समिति रिपोर्टें अनुदेश और परिपत्र जारी किये गये हैं।

बैंकों द्वारा आइएस आडिट के संदर्भ में अपनायी जाने वाली वर्तमान प्रथाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने हाल ही में इस संबंध में एक अध्ययन किया था।

अध्ययन से यह पता लगा कि यद्यपि कमोबेश रूप में बैंकों ने आइएस/ईडीपी आडिट करने के लिए तंत्र स्थापित कर लिया है, फिर भी टेक्नोलॉजी अपनाने के स्तर के आधार पर प्रत्येक बैंक में प्रथाएं अलग अलग हैं। साथ ही, कई बैंक कंप्यूटर/ईडीपी ऑडिट की जगह आइएस ऑडिट प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं।

शेयरों पर बैंक वित्तपोषण के लिए मार्जिन घटाया गया

वित्तीय बाज़ारों में गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित कार्यदल द्वारा की गयी सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से उन मार्जिनों पर यथास्थिति बनायी रखी जाए जो बैंकों को शेयरों/आइपीओ/गारंटी जारी करने पर वित्तीयन के लिए रखने की ज़रूरत होती है। अब मार्जिन पूर्व के 50.0 प्रतिशत के बजाय 40.0 प्रतिशत रहेंगे। इसके अलावा, 25.0 प्रतिशत का नकदी मार्जिन (50.0 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) घटा कर 20.0 प्रतिशत कर दिया गया है।

आपको याद होगा कि शेयरों पर मार्जिन जनवरी 2004 में 40.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़ा कर 50.0 प्रतिशत कर दिये गये थे।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
29 तथा 31 मई 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

ग्राहक सेवा

चालू खाते खोलना

रिज़र्व बैंक ने पहले जारी किये गये अपने अनुदेशों को दोहराते हुए बैंकों को सूचित किया है कि वे यह कड़ाई से सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधाएं (निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित) प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के चालू खाते तब तक न खोलें जब तक कि ऋणदाता बैंक/बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। बैंकों को इस बात को नोट करने के लिए भी सूचित किया जाता है कि उक्त अनुदेशों का पालन न करने को निधियों के निर्धारित उपयोग से अन्यत्र उपयोग के लिए उकसाने के कार्य के रूप में माना जायेगा तथा ऐसा उल्लंघन रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये जाने पर अथवा उसके निरीक्षण के दौरान ध्यान में आने पर संबंधित बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दंड के लिए पात्र होगा।

जनवरी 2000 में बैंकों को सूचित किया गया था कि चालू खाता खोलते समय वे खातेदार से इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त करें कि ग्राहक किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है अथवा एक ऐसा घोषणा-पत्र प्राप्त करें जिसमें भावी ग्राहक द्वारा अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधाओं का विवरण दिया गया हो। संबंधित बैंक/बैंकों को विधिवत् रूप से सूचित भी किया जाना चाहिए ताकि जहां आवश्यक हो, वहां वे आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय कर सकें।

ग्राहक के संबंध में जानकारी

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि खाता खोलते समय ग्राहक द्वारा बैंक को दी गयी जानकारी गोपनीय प्रकृति की होती है तथा ऐसी जानकारी को सेवाओं के प्रतिविक्रय अथवा अन्य प्रयोजन के लिए प्रकट करना ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा के बैंक के दायित्वों का उल्लंघन होगा। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में ग्राहक के प्रति अपने दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश दें।

रिज़र्व बैंक ने आगे बैंकों को यह भी सूचित किया है कि यदि बैंक *अपने ग्राहक को जानिए* से भिन्न प्रयोजनार्थ ग्राहक से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी जानकारी खाता खोलने वाले फार्म का अंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी जानकारी संबंधित ग्राहकों से पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर अलग से प्राप्त की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसा करते समय जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहकों को बताया जाना तथा ऐसी जानकारी का उपयोग किसलिए किया जाएगा उसके संबंध में ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त कर लेना भी आवश्यक होगा।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में विद्यमान प्रथाओं की तदर्थ समिति/बोर्ड द्वारा जांच कराकर अपनी शाखाओं को उचित अनुदेश दें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

जनसेवाओं के संबंध में प्रक्रिया तथा कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा समिति ने यह पाया था कि ग्राहकों से ली गयी जानकारी का उपयोग बैंक, उनकी सहायक तथा संबद्ध संस्थाओं द्वारा सेवाओं के प्रतिविक्रय (क्रॉस सेलिंग) के लिए भी करते हैं। कभी-कभी ऐसी जानकारी अन्य एजेंसियों को भी दी जाती है।

न्यूनतम शेष राशि

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित न्यूनतम शेषराशि में परिवर्तन तथा न्यूनतम शेष राशि बनाये न रखने पर लगाये जाने वाले प्रभारों के बारे में अपने विद्यमान खातेदारों को कम-से-कम एक माह की पूर्वसूचना देकर बताएं।

इससे पूर्व अगस्त 2003 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बचत बैंक खाता खोलते समय ही अपने ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि बनाये रखने तथा न्यूनतम शेष राशि बनाये न रखने की स्थिति में प्रभार लगाने की अपेक्षा के संबंध में सूचित कर दें। इस संबंध में बाद में किये गये किसी भी परिवर्तन की सूचना खातेदारों को अवश्य दी जानी चाहिए।

जनसेवाओं के संबंध में प्रकिया तथा कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा समिति ने यह पाया था कि बैंकों ने अपने विद्यमान जमाकर्ताओं को सूचित किये बिना ही प्रभार लगाये थे। समिति ने सिफारिश की है कि बाद में लगाये जाने वाले किसी भी प्रभार के बारे में सभी जमाकर्ताओं को एक माह की पूर्व सूचना देकर बताया जाना चाहिए।

संयुक्त खाते

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि अनिवासी व्यक्ति, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते निवासियों के साथ संयुक्त रूप से रख सकते हैं।

अगस्त 2003 में बैंकों को सूचित किया गया था कि अनिवासी (बाह्य)(एनआरई) खाते अनिवासी व्यक्तियों के साथ ही संयुक्त रूप से रखे जाने चाहिए। कुछ बैंकों ने इन अनुदेशों का अर्थ इस रूप में लगाया कि ये अनुदेश अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खातों के लिए भी लागू होंगे तथा अनिवासी सामान्य खाते निवासी व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में नहीं रखे जा सकते।

इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण/इलेक्टानिक समाशोधन सेवा के लिए प्रोसेसिंग प्रभार

निधि अंतरण के अन्य माध्यमों में और तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ईसीएस और ईएफटी लेनदेनों के लिए बैंकों के सेवा प्रभारों में 31 मार्च 2006 तक की अवधि के लिए छूट दी जाए। इस संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

- रिज़र्व बैंक ईसीएस/ईएफटी पर कोई भी प्रोसेसिंग प्रभार नहीं लगाएगा। यह ईसीएस (क्रेडिट और डेबिट समाशोधन), केन्द्रीकृत ईसीएस, सामान्य ईएफटी और विशेष ईएफटी योजनाओं पर लागू होगा।
- यह छूट पहली जून 2004 अर्थात पहली जून 2004 को बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में प्रभावी होगी और 31 मार्च 2006 तक लागू रहेगी।
- बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस प्रकार के लेनदेनों पर लगाए गये प्रभारों में कटौती करके यह लाभ ग्राहकों को उपलब्ध करायें।

आपको याद होगा कि दिसम्बर 2003 में रिज़र्व बैंक ने ईएफटी लेनदेनों पर दो वर्षों के लिए छूट दी थी। यह उपाय भुगतान के इलेक्ट्रानिक माध्यमों, जो कि त्वरित और कार्यक्षम भी है, को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।

बैंकों को आगे यह भी सूचित किया जाता है कि वे रिज़र्व बैंक को शुल्क में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप होनेवाले लाभ को दूसरों में बांटने के लिए उनके द्वारा उठाए गये कदम और प्रभारों में दी गई छूट से पूर्व एवं बाद की स्थिति के बारे में अति शीघ्र सूचित करें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निवेश का मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि सांविधिक चलनिधि अनुपात के संबंध में प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर मार्ग (मार्क टू मार्केट) करने के मानदण्डों में वित्तीय वर्ष 2003-04 तक दी गई छूट को एक और वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2004-05 तक बढ़ा दिया जाए। तदनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों की सम्पूर्ण निवेश सूची को वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए *अवधि समाप्ति तक धारित* के अन्तर्गत वर्गीकृत करके उनका मूल्यांकन बही मूल्य के आधार पर किया जाए तथा प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन प्रतिभूतियों की शेष अवधि में किया जाए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**